

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

पवन कुमार

बनाम

बिहार राज्य

2022 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 822

16 मई 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री ए. एम. बदर एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर झा)

विचार के लिए मुद्दा

क्या जहानाबाद थाना कांड संख्या 504/2018 से उत्पन्न विशेष पॉक्सो मामला संख्या 44/2018 में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश VI-सह-विशेष पॉक्सो न्यायाधीश, जहानाबाद द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय और परिणामी सजा का आदेश सही है या नहीं?

हेडनोट्स

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 366ए, 376—लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012—धारा 4—सूचनाकर्ता के अनुसार, उसकी भतीजी को यौन उत्पीड़न करने के इरादे से अपीलकर्ता बहला-फुसलाकर ले गया।

निर्णय: सूचनाकर्ता पीड़िता की जन्मतिथि के पक्ष में उसके पहले स्कूल द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा—डॉक्टर ने रेडियोलॉजिकल जांच के आधार पर पीड़िता की आयु 19-20 वर्ष के बीच आंका—घटना के समय, पीड़िता बालिग थी और अपीलकर्ता द्वारा उसके साथ कोई गलत कार्य नहीं किया गया था—उसने विशेष रूप से यह बयान दिया कि अपीलकर्ता उसका पड़ोसी था और वह अपनी इच्छा से उसके साथ गई थी—डॉक्टर को पीड़िता पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं मिली—कानून का सिद्धांत है कि बलात्कार एक कानूनी निष्कर्ष है, चिकित्सकीय नहीं—निर्णय और दोषसिद्धि का आदेश रद्द—अपीलें स्वीकार की गईं—अपीलकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया। (पैराग्राफ 28, 29, 30)

न्याय दृष्टान्त

जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2013)7 एससीसी 263—इस पर भरोसा किया गया। तुकाराम एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1979 एससी 185; कर्नल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 1995 एससी 2472— संदर्भित किया गया।

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872; लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

मुख्य शब्दों की सूची

पीड़ित, प्रलोभन, अपहरण, बलात्कार, हमला, पीड़ित की आयु, नाबालिग, वयस्क।

प्रकरण से उत्पन्न

जहानाबाद थाना कांड संख्या 504/2018 से उत्पन्न विशेष पॉक्सो मामला संख्या 44/2018 में विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश VI-सह-विशेष पॉक्सो न्यायाधीश, जहानाबाद द्वारा दिनांक 20.09.2022 को दोषसिद्धि के निर्णय और उसके फलस्वरूप पारित सजा के आदेश से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से: श्री मृगेन्द्र कुमार, अधिवक्ता।

उत्तरदाता की ओर से: श्री सुजीत कुमार सिंह, स.लो.अ.।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता।

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 822 वर्ष 2022

थाना कांड सं 504 वर्ष 2018 थाना- जहानाबाद जिला- जहानाबाद से उद्धृत

=====

पवन कुमार पिता- शत्रुघ्न सिंह निवासी मोहल्ला- श्याम नगर, थाना- जहानाबाद, जिला- जहानाबाद।

... .. अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

... ..उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति :

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री मृगेन्द्र कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री सुजीत कुमार सिंह, स. लो. अ.

=====

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री ए. एम. बदर

एवं

सी.ए.वी. निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा)

दिनांक : 16.05.2023

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मृगेन्द्र कुमार और राज्य के लिए विद्वान स. लो. अ. को सुना गया।

2. जहानाबाद थाना कांड सं. 504/2018 से उत्पन्न विशेष पॉक्सो कांड सं. 44/2018 में पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को चुनौती देने वाली उपरोक्त नामित अपीलकर्ता/दोषी द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील, जिसके तहत माननीय जिला और सत्र न्यायाधीश-VI-सह-विशेष पॉक्सो न्यायाधीश, जहानाबाद ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'भा.दं.सं.') की धारा 366-ए और 376 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (संक्षेप में 'पॉक्सो') की धारा 4 के तहत दोषी ठहराया। अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 366-ए के तहत दोषी ठहराते हुए उसे सात (07) साल के लिए सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। 10, 000/- (दस हजार) जुर्माने के भुगतान में चूक करने पर, आगे छह (06) महीने के लिए कारावास से गुजरना होगा, आगे अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत भी दोषी ठहराया गया और पूरे जीवन के लिए सश्रम कारावास और रु. 10, 000/- (दस हजार) और जुर्माने के भुगतान में चूक होने पर, आगे छह (06) महीनों के लिए कारावास से गुजरना होगा। अपीलकर्ता को पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत भी दोषी ठहराया गया था और पूरे जीवन के लिए सश्रम कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। 10, 000/- (दस हजार) और जुर्माने के भुगतान में चूक होने पर छह (06) महीने के लिए कारावास से गुजरना होगा।

3. अभियोजन पक्ष के मामले का सार सूचक निशांत कुमार (अ.सा.-1), जो पीड़ित (अ.सा.-6) का चाचा है, की लिखित जानकारी/फर्दबयान से प्रकट होता है कि उसकी भतीजी, जो कक्षा-9 की छात्रा है, उम्र लगभग 14 वर्ष, 18.06.2018 से लापता है। उसने अपनी भतीजी/पीड़ित (अ.सा.-6) को खोजने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह अपनी खोज में असफल रहा और बाद में, 20.06.2018 को, उसके दोस्त, अर्थात् सूर्यदेव प्रसाद (अ.सा.-4) ने उन्हें बताया कि उसने अपनी भतीजी/पीड़ित (अ.सा.-6) को 16.06.2018 को प्रातः लगभग 8:00 बजे पटना जंक्शन में पवन

कुमार (अपीलकर्ता/दोषी), पिता सत्रुघ्न सिंह, निवासी मोहल्ला श्यामनगर, जिला-जहानाबाद के साथ देखा था। इस जानकारी के आधार पर, सूचक (अ.सा.-1) अपीलकर्ता/दोषी के घर गया तथा उसके माता-पिता से उसके ठिकाने के बारे में पूछा, जहां उसे पता चला कि अपीलकर्ता/दोषी भी 15.06.2018 से लापता है, जिसके लिए जहानाबाद पुलिस स्टेशन को लिखित रूप से सूचना भी दी गई थी। सूचक (अ.सा.-1) ने संदेह व्यक्त किया कि उसकी भतीजी/पीड़ित (अ.सा.-6) को अपीलकर्ता/दोषी अर्थात् पवन कुमार द्वारा विवाह के उद्देश्य से अपहरण किया गया था।

4. जांच पूरी होने के बाद, पुलिस ने अपीलकर्ता/दोषी के खिलाफ आरोप पत्र संख्या 492/2018 दिनांक 30.09.2018 के तहत भा.दं.सं. की धारा 366-ए/376 के साथ पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें दिनांक 25.04.2019 को अपीलकर्ता/दोषी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 366-ए और 376 के साथ-साथ पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत भी आरोप तय किए गए। उपरोक्त आरोपों को अपीलकर्ता/दोषी को विधिवत समझाया गया, जहाँ उसने "दोषी नहीं" होने की दलील दी और मुकदमे की मांग की।

5. माननीय विचारण न्यायालय के समक्ष अपना मामला स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल आठ (08) गवाहों की जांच की, जिनमें निशांत कुमार (अ.सा.-1), पीड़ित की मां (अ.सा.-2), पीड़ित के पिता (अ.सा.-3), सूर्य देव प्रसाद (अ.सा.-4), डॉ. बिनोद कुमार (अ.सा.-5), पीड़ित (अ.सा.-6), डॉ. नाहिद सिरिन (अ.सा.-7) और दुर्गेश कुमार गहलोट (अ.सा.-8), जो इस मामले के जांच अधिकारी हैं।

6. अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजोंको भी प्रदर्शित किया जो इस प्रकार हैं:

1. प्रदर्श 1-लिखित आवेदन

2. प्रदर्श 2-चिकित्सा रिपोर्ट
3. प्रदर्श 3- 164 दं.प्र.सं. पर पीड़ित के हस्ताक्षर।
4. प्रदर्श 4- लिखित आवेदन पर अग्रेशन
5. प्रदर्श 5- औपचारिक प्राथमिकी
6. प्रदर्श 6- गिरफ्तार लोगों का ज्ञापन
7. प्रदर्श 7- पारगमन रिमांड
8. प्रदर्श 8- जन्म प्रमाण पत्र
9. प्रदर्श 9- पीड़ित के लिए चिकित्सा अनुरोध

7. अभियोजन के मामले को बंद करने के बाद, अपीलकर्ता/दोषी का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (संक्षेप में 'दं.प्र.सं..') के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें वह उसे समझाई गई सभी आपत्तिजनक परिस्थितियों से इनकार करके अपनी पूरी बेगुनाही दिखाता है।

8. मुकदमे के दौरान बचाव में किसी गवाह से पूछताछ नहीं की गई।

9. मुकदमे के समापन के बाद, विद्वत विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य, कानूनी स्थिति और पक्षों द्वारा दिए गए तर्क पर ध्यान देते हुए, अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 366-ए और 376 के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया, जहां दोषी ठहराए जाने पर, अपीलकर्ता/दोषी को भा.दं.सं. की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत किए गए अपराध के लिए आजीवन कारावास और भा.दं.सं. की धारा 366-ए के

तहत सात साल के कारावास के साथ-साथ जुर्माने की सजा सुनाई गई। दोषसिद्धि और सजा अपीलकर्ता/दोषी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी।

10. इसलिए, वर्तमान अपील।

11. अ.सा.-1 निशांत कुमार है, जो पीड़ित (अ.सा.-6) का सूचक और चाचा है। उसके द्वारा यह बयान दिया जाता है कि पीड़ित, जो उसकी भतीजी है, घटना के समय लगभग 14 वर्ष की आयु की नाबालिग थी और नौवीं कक्षा की छात्रा थी। यह पता चला है कि घटना 15.06.2018 की है और जब वह मल्लाहचक क्षेत्र में स्थित अपने घर में रात लगभग 10-12 बजे सो रहा था, जहां पीड़ित (अ.सा.-6) भी अगले कमरे में सो रही थी, तो उसने कुछ समय बाद पाया कि वह अपने कमरे में उपस्थित नहीं है और उसके कमरे का दरवाजा खुला था। उसके द्वारा बयान दिया जाता है कि उसने खोज की लेकिन अपनी भतीजी को खोजने में विफल रहा। यह बयान दिया जाता है कि अगले दिन, उन्हें श्यामनगर मोहल्ला के शत्रुघ्न सिंह ने सूचित किया कि उनका बेटा पवन कुमार भी 15.06.2018 से लापता है। इसके बाद, उनके द्वारा एक संयुक्त तलाशी की गई और तलाशी के दौरान उनके रिश्तेदार, सूर्यदेव प्रसाद (अ.सा.-4) ने उन्हें बताया कि 16.06.2018 को प्रातः लगभग 9-10 बजे उन्होंने पीड़ित (अ.सा.-6) और पवन कुमार (अपीलकर्ता/दोषी) को पटना जंक्शन पर एक साथ देखा। यह बयान दिया जाता है कि जब पीड़ित नहीं मिली, तो पुलिस स्टेशन में लिखित जानकारी दर्ज की गई, उसने विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी लिखित जानकारी पर अपने हस्ताक्षर और लिखावट की पहचान की, जो उसकी पहचान पर माननीय विचारण न्यायालय के समक्ष प्रदर्श संख्या 1 के रूप में प्रदर्शित की गई थी। उसके द्वारा यह बयान दिया गया है कि घटना के 26 दिनों के बाद उसकी भतीजी/पीड़ित (अ.सा.-6) को पुलिस ने गुजरात के दादर और नगर हवेली से बरामद किया था और उसे पुलिस द्वारा वहां से लाया गया था। यह बयान दिया गया कि पूछताछ में पीड़ित (अ.सा.-6) ने उसे बताया कि पवन कुमार

(अपीलकर्ता/दोषी) ने उस पर हमला किया और जबरन शारीरिक संबंध बनाए और उसे धमकी भी दी गई कि अगर वह उसके साथ नहीं आई तो वह उसके माता-पिता को मार डालेगा। उसके द्वारा यह भी बयान दिया जाता है कि अपीलकर्ता/दोषी पवन कुमार आमतौर पर फोन पर उसे रिहा होने के बाद उसे देख लेने की धमकी देता है। यह भी कहा गया है कि पीड़ित (अ.सा.-6) की चिकित्सा जांच की गई थी और दंडाधिकारी/न्यायालय द्वारा उसका बयान भी दर्ज किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि उनका बयान पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था और उन्होंने मुकदमे के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपीलकर्ता/दोषी की पहचान की।

प्रतिपरीक्षण पर, उनके द्वारा यह बयान दिया गया कि उनकी भतीजी/पीड़ित (अ.सा.-6) की प्राथमिक शिक्षा पब्लिक स्कूल, जिला-जहानाबाद में पूरी हुई थी, लेकिन वह इस संबंध में कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वह जानबूझकर अपनी भतीजी/पीड़ित (अ.सा.-6) की वास्तविक जन्म तिथि को छिपाने के लिए कह रहे हैं। उसके द्वारा यह बयान दिया जाता है कि पीड़ित के पिता (अ.सा.-6) और अपीलकर्ता/दोषी के पिता संयुक्त रूप से एक कोचिंग संस्थान चलाते हैं। उसके द्वारा कहा गया है कि पीड़ित उसके भाई की इकलौती बेटी है और उसे अपने उपनाम से भी पुकारा जाता है और कहा कि उपनाम शांति कुंज स्कूल के पंजीयक में दर्ज किया गया था। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनकी भतीजी/पीड़ित (अ.सा.-6) सरकारी आवासीय विद्यालय की छात्रा थी, हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि उसने अपने प्रवेश के लिए वहां आवेदन किया था। उनके अनुसार पीड़ित (अ.सा.-6) मानस विद्यालय की छात्रा थी। उसके द्वारा यह भी कहा गया है कि पीड़ित का पिता एक हत्या के मामले का आरोपी था और उसे अपने पिता शत्रुघ्न सिंह से अपीलकर्ता/दोषी के लापता होने की जानकारी मिली थी, जो पुलिस में प्रथम सूचना दर्ज कराने के समय उसके साथ था। यह भी कहा गया है कि शत्रुघ्न सिंह ने अपीलकर्ता/दोषी की गुमशुदगी

की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी और यह शत्रुघ्न सिंह ही थे जिन्होंने उन्हें बताया था कि अपीलकर्ता/दोषी गुजरात जा सकते हैं और उसके बाद ही, वह पीड़ित (अ.सा.-6) की तलाश में पुलिस के साथ गुजरात के दादर और नगर हवेली गए, जहाँ उन्हें पीड़ित और अपीलकर्ता/दोषी किराए के कमरे में मिले। यह भी कहा गया है कि पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें वहाँ अपनी भतीजी/पीड़ित (अ.सा. -6) से बात करने की इजाजत नहीं दी गई। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि 3 दिनों की ट्रेन यात्रा के बाद, वह पटना आया और पुलिस पीड़ित (अ.सा.-6) और अपीलकर्ता/दोषी दोनों को अपने साथ ले गई, वे पुलिस के साथ नहीं थे। उसके द्वारा यह भी कहा गया है कि पीड़ित (अ.सा.-6) को पुलिस द्वारा उसकी चिकित्सा जांच और न्यायालय के समक्ष उसका बयान दर्ज करने के लिए ले जाया गया था और उसके बाद उसे अवलोकन गृह भेज दिया गया, जहाँ से उसे दो दिन बाद रिहा कर दिया गया था। यह कहा गया है कि अपीलकर्ता/दोषी पवन कुमार एक विवाहित व्यक्ति है और एक लड़की का पिता है। यह भी कहा गया है कि शत्रुघ्न सिंह ने जबरन वसूली के पैसे की मांग के लिए अपने खिलाफ विद्वान मु.न्या.दं., जहानाबाद के समक्ष एक सूचनात्मक याचिका दायर की थी। उन्होंने बचाव पक्ष के इस सुझाव का खंडन किया कि अपीलकर्ता/दोषी अपने भाई के खिलाफ दर्ज हत्या के मामले में गवाह है। उन्होंने कहा कि पीड़ित (अ.सा.-6) का पिता जो उसका भाई है, एक लड़के की हत्या के मामले में आरोपी है जो मल्लहचक, क्षेत्र का निवासी था। उन्होंने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया कि उक्त मामले में बरी होने के लिए, साजिश के तहत उन्होंने अपीलकर्ता/दोषी के खिलाफ वर्तमान झूठा मामला दर्ज किया।

12. अ.सा.-2 पीड़ित की माँ है जिसने बयान दिया कि घटना के समय पीड़ित 14 वर्ष की थी, वह भी घटना का समर्थन करती है और परीक्षा-प्रमुख में उसका बयान अ.सा.-1 के अनुरूप ही दिखाई दे रहा है, जो इस मामले का सूचक है।

प्रतिपरीक्षण पर, उसके द्वारा यह बयान दिया जाता है कि घटना के 2-3 दिनों के बाद पुलिस द्वारा उसका बयान दर्ज किया गया था, और उसके बाद पुलिस द्वारा उससे कभी पूछताछ नहीं की गई। उसके द्वारा यह बयान दिया जाता है कि पीड़ित (अ.सा.-6) शांतिकुंज स्कूल की छात्रा थी और वह इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकती है। उसके द्वारा यह भी बयान दिया जाता है कि अपीलकर्ता/दोषी उसके इलाके का निवासी नहीं है और वह कभी भी उसके आवास पर नहीं गया। उसने इस घटना से पहले अपीलकर्ता/दोषी के साथ किसी भी परिचित होने से इनकार किया। उनका कहना है कि उनके पति प्रोफेसर हैं और 12 वीं तक कोचिंग संस्थान चलाते हैं, लेकिन वे किसी भी कॉलेज के शिक्षक नहीं हैं। उसने यह भी कहा कि अपीलकर्ता/दोषी के पिता ने उससे कभी मुलाकात नहीं की, लेकिन उसे उसके बहनोई (अ.सा.-1) ने सूचित किया कि अपीलकर्ता/दोषी भी लापता है और इस तथ्य का खुलासा अ.सा.-1 द्वारा उसे किया गया था। उसके द्वारा यह भी कहा गया है कि जब वह वापस आई तो वह अपनी बेटी/पीड़ित (अ.सा.-6) से गाँव में उसके आवास पर मिली और यह मुलाकात घटना के एक महीने बाद हुई थी। उसने कहा कि पीड़ित (अ.सा.-6) ने उसे बताया कि वे किराए के कमरे में थे, जहाँ अपीलकर्ता/दोषी काम कर रहा था और वह खाना पकाने के काम में व्यस्त रहती थी। उसके द्वारा आगे कहा गया है कि घटना के समय पीड़ित मानस स्कूल बभना की छात्रा थी। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि उनकी बेटी/पीड़ित (अ.सा.-6) अपने घर से स्कूल जा रही थी। उसने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इनकार किया कि उसकी बेटी/पीड़ित (अ.सा.-6) घटना के समय बालिग थी और उसने इस बात से भी इनकार किया कि वह अपनी मर्जी से अपीलकर्ता/दोषी के साथ गई थी। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि पीड़ित की जन्म तिथि (अ.सा.-6) के संबंध में प्रमाण पत्र जाली है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि उनकी बेटी/पीड़ित (अ.सा.-6) ने कभी मानस स्कूल में दाखिला नहीं लिया।

13. अ.सा.-3 पीड़ित का पिता है जिसने यह भी कहा कि घटना के समय उसकी बेटी की उम्र लगभग 14 वर्ष थी। उनके द्वारा यह बयान दिया गया है कि घटना के समय वह पटना में थे और उन्हें अपने भाई (अ.सा.-1) से टेलीफोन पर जानकारी मिली, जो इस मामले के सूचक हैं। अ.सा.-3 का बयान अ.सा.-1 और अ.सा.-2 के बयान के अनुरूप दिखाई देता है और इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

प्रतिपरीक्षण पर, उनके द्वारा यह बयान दिया गया कि घटना के समय उनकी बेटी/पीड़ित (अ.सा.-6) की आयु 19 वर्ष थी। यह कहा गया है कि शैक्षिक उद्देश्य के लिए उनकी आयु वास्तविक से कम दर्ज की गई थी। उनके द्वारा यह बयान दिया गया कि सूचना देने वाले (अ.सा.-1) ने पीड़ित की उम्र (अ.सा.-6) का गलत उल्लेख किया है। यह भी कहा गया है कि उन्होंने वर्तमान घटना के बारे में अपनी बेटी/पीड़ित (अ.सा.-6) के साथ कभी कुछ भी चर्चा नहीं की। यह कहा गया है कि अ.सा.-1 ने घटना के संबंध में पीड़ित (अ.सा.-6) के साथ चर्चा की। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी बेटी/पीड़ित (अ.सा.-6) ने शुरू में अपनी शिक्षा जहानाबाद के एक निजी विद्यालय में प्राप्त की थी।

14. अ.सा.-4 सूर्यदेव प्रसाद हैं जिन्होंने विचारण न्यायालय के समक्ष घटना के बारे में कुछ भी जानने से इनकार किया। उन्होंने जाँच के दौरान पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने से भी इनकार किया। उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया था।

विद्वान स. लो. अ. द्वारा प्रतिपरीक्षा पर कुछ भी विशिष्ट सामने नहीं आया जो साक्ष्य के एक पुष्टिकारक टुकड़े के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने घटना के संबंध में विद्वान स. लो. अ. द्वारा दिए गए प्रत्येक सुझाव को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने मुकदमे के दौरान अपीलकर्ता/दोषी की पहचान की। प्रतिपरीक्षण पर, उन्होंने बस इतना कहा कि उनका गाँव जहानाबाद जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर है।

15. अ.सा.-5 डॉ. बिनोद कुमार हैं, जिन्हें 13.07.2018 पर सदर अस्पताल, जहानाबाद में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था। उस दिन सदर अस्पताल, जिला-जहानाबाद के उपाधीक्षक के आदेश पर जहानाबाद थाना कांड सं. 504/2018 की पीड़ित की जांच के लिए एक चिकित्सा बोर्ड का गठन किया गया था। वे बोर्ड के सदस्यों में से एक थे। उस तारीख को संध्या 4:55 में उम्र के आधार पर पुलिस की मांग पर पीड़ित की जांच की और निम्नलिखित पाया -

(i) कोहनी ए. पी. और पार्श्व दृश्य के एक्स-रे ने सभी एपिफिसिस को संलित दिखाया।

(ii) एक्स-रे कलाई ए. पी. और पार्श्व दृश्य ने सभी एपिफिसिस को संलित दिखाया।

(iii) श्रोणि का ए.पी. तथा पार्श्व दृश्य एक्स-रे यह दर्शाता है कि इलियक क्रेस्ट का संलयन शीघ्र होने वाला है।

दन्त परीक्षण के आधार पर निष्कर्ष इस प्रकार हैं:-

7/8

7/8

उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर पीड़ित की आयु लगभग 19 से 20 वर्ष थी। इस गवाह की पहचान होने पर चिकित्सा विवरण को प्रदर्श संख्या 2 के रूप में चिह्नित किया गया था। पीड़ित की उम्र 19 से 20 साल के बीच थी। पीड़ित (अ.सा.-6) के हस्ताक्षर उसकी सहमति पर लिए गए थे।

16. अ.सा.-6 पीड़ित स्वयं है, यह पीड़ित द्वारा बयान दिया जाता है कि घटना अब तीन साल से पहले की है। यह बयान दिया गया कि घटना के समय, वह

दसवीं कक्षा की छात्रा थी। उसने बयान दिया कि घटना की तारीख को संध्या लगभग 5:00 बजे जब वह कक्षा के बाद अपने घर लौट रही थी, तो अपीलकर्ता/दोषी ने उसे गुजरात जाने के लिए कहा और तदनुसार, वह उसके साथ गई। यह बयान दिया जाता है कि गुजरात में वे एक महीने के लिए एक साथ रहते हैं, जहाँ अपीलकर्ता/दोषी काम कर रहा था। उसके द्वारा यह भी बयान दिया गया है कि वे किराए के कमरे में एक साथ रह रहे थे जहाँ से उसे पुलिस द्वारा लाया गया था। यह बयान दिया जाता है कि अपीलकर्ता/दोषी को गुजरात के न्यायालय में पेश किया गया था और वहां से उसे न्यायालय के आदेश के तहत जहानाबाद लाया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि उनका बयान दंडाधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था और डॉ. विनोद कुमार (अ.सा.-5) के द्वारा उसका परीक्षण किया गया। उसने मुकदमे के दौरान गवाही दी कि उसने दंडाधिकारी के सामने कहा कि पवन कुमार (अपीलकर्ता/दोषी) ने उसे किराए के कमरे में अपने साथ रखा और शारीरिक संबंध स्थापित किए, उसने दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जिसे विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष प्रदर्श संख्या 3 के रूप में प्रदर्शित किया गया था। उसने गवाही दी कि उसकी जन्म तिथि 22.11.2004 के रूप में दर्ज की गई थी, पीड़ित ने न्यायालय के समक्ष पवन कुमार (अपीलकर्ता/दोषी) की पहचान करने का दावा किया। न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता/दोषी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ता/दोषी की पहचान पर विवाद नहीं किया।

प्रतिपरीक्षण पर, यह विशेष रूप से उसके द्वारा बयान दिया गया था कि घटना के समय, वह 20 वर्ष की थी। यह आगे कहा गया है कि उसने पुलिस के निर्देश के अनुसार दंडाधिकारी के समक्ष दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज किया। उसने विशेष रूप से बयान दिया कि अपीलकर्ता/दोषी ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया था। उसने यह भी कहा कि अपना बयान दर्ज करने के बाद ही वह

अपने माता-पिता के पास आई, उसने यह भी कहा कि वह भीमराव अंबेडकर उच्च माध्यमिक विद्यालय, करपी (अरवल) की छात्रा थी, जहाँ उसे उसके चाचा (अ.सा.-1) ने भर्ती कराया था। उसने यह भी कहा कि अपीलकर्ता/दोषी उसका पड़ोसी है और वह अपनी मर्जी से अपीलकर्ता/दोषी के साथ गई थी।

17. अ.सा.-7 डॉ. नाहिद सिरिन हैं, जिन्हें 13.07.2018 पर सदर अस्पताल, जहानाबाद के चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था और उस तारीख को उप अधीक्षक, सदर अस्पताल, जहानाबाद के आदेश से जहानाबाद थाना कांड संख्या 504/18 के पीड़ित की जांच के लिए एक चिकित्सा बोर्ड का गठन किया गया था। वह बोर्ड के सदस्यों में से एक थी और उस दिन संध्या लगभग 04:55 बजे पुलिस की मांग पर बलात्कार के मुद्दे पर पीड़ित से पूछताछ की और निम्नलिखित पाया -

- (I) पीड़ित के शरीर के ऊपरी हिस्से में कोई बाहरी चोट नहीं थी।
- (II) स्तन अच्छी तरह से विकसित था।
- (III) सहायक बाल मौजूद थे।
- (IV) पीड़ित के शरीर के निचले हिस्से में कोई बाहरी चोट नहीं है।
- (V) जघवास्थि के बाल मौजूद थे।
- (VI) लेबिया मैजोरा, लेबिया मिनोरा, वल्वा योनि (वजाइना) सभी पूर्णतः विकसित पाए गए।
- (VII) हाइमेन का फटा हुआ योनि स्वेब लिया गया और पैथोलॉजिकल जांच के लिए भेजा गया और रिपोर्ट इस प्रकार दिखाई दी:-

(क) शुक्राणु नहीं मिला (ख) डब्ल्यू. बी. सी.-कोई नहीं। (ग) आर. बी. सी.-कोई नहीं। (घ) एपिथेरियल कोशिका-कुछ मौजूद हैं। (ई) अन्य-कोई नहीं।

(VIII) पीड़ित की शारीरिक और रोग संबंधी जांच के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि हाल ही में बलात्कार का कोई संकेत नहीं था, लेकिन बलात्कार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पीड़ित की चिकित्सा विवरण उसके लिखित रूप में है और उस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

प्रतिपरीक्षण पर, इस गवाह ने बयान दिया कि साइकिल चलाने और मोटरसाइकिल चलाने के कारण हाइमेन फट सकता है।

18. अ.सा.-8 इस मामले के जांच अधिकारी हैं, जिनका नाम दुर्गेश कुमार गहलोट है, जिन्होंने बयान दिया कि उन्हें 27.06.2018 पर टाउन पुलिस थाना, जहानाबाद में सब-इंस्पेक्टर के रूप में तैनात किया गया था और थाना प्रभारी सत्येंद्र शाही से 2018 के जहानाबाद टाउन थाना कांड सं. 504 की जांच का प्रभार प्राप्त किया। उन्होंने सूचक (अ.सा.-1) की लिखित जानकारी पर एसएचओ सत्येंद्र शाही के समर्थन और लिखावट की पहचान की और उनकी पहचान पर इसे माननीय विचारण न्यायालय के समक्ष **प्रदर्श संख्या 4** के रूप में प्रदर्शित किया गया। उन्होंने औपचारिक प्राथमिकी पर थाना प्रभारी सत्येंद्र शाही के हस्ताक्षर और हस्तलेखन की भी पहचान की और उनकी पहचान पर **प्रदर्श संख्या 5** के रूप में प्रदर्शित किया गया। जाँच का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने पाया कि लिखित जानकारी के साथ पीड़ित का पहचान पत्र (अ.सा.-6) लिखित जानकारी (प्रदर्श संख्या 1) के साथ संलग्न है, जहाँ पीड़ित की जन्म तिथि (अ.सा.-6) का उल्लेख 22.11.2004 के रूप में किया गया था। यह बयान दिया गया कि

उसने 27.06.2018 पर सूचना देने वाले (अ.सा.-1) का पुनः कथन दर्ज किया और उसी दिन संध्या लगभग 3:25 बजे घटना स्थल का दौरा भी किया। उनके द्वारा यह बयान दिया गया है कि जब उन्हें पता चला कि पीड़ित गुजरात गई थी, तो उन्होंने इस मामले की जांच के संबंध में गुजरात जाने के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त की और उन्होंने ज्ञापन सं. 987/सीआर. शाखा दिनांक 02.07.2018 के माध्यम से एसपी जहानाबाद के आदेश के तहत 03.07.2018 पर वही अनुमति प्राप्त की। उन्होंने यह भी बयान दिया कि दादर और नगर हवेली/गुजरात की सिलवासा पुलिस की मदद से उन्होंने अपीलकर्ता/दोषी को गिरफ्तार किया और पीड़ित (अ.सा.-6) को बरामद किया। उन्होंने यह भी कहा कि अपीलकर्ता/दोषी को सुदर्शन कारखाना में काम करने वाले पर्यवेक्षक सुनील सिंह की मदद से गिरफ्तार किया गया था। यह भी बयान दिया जाता है कि अपीलकर्ता/दोषी सुदर्शन कारखाने के सामने किराए के कमरे में रह रहा था। उन्होंने गिरफ्तारी ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षर और लिखावट की पहचान की जिसे विचारण न्यायालय के समक्ष प्रदर्श **संख्या 6** के रूप में प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने गुजरात से अपीलकर्ता/दोषी के पारगमन रिमांड की भी पहचान की और आगे उस अपीलकर्ता/दोषी की गिरफ्तारी के बाद उसका बयान लिया और पीड़ित (अ.सा.-6) को सिविल अस्पताल सिलवासा लाया गया, जहां अपीलकर्ता/दोषी की चिकित्सकीय जांच की गई, इसके बाद एक आवेदन सिलवासा पुलिस थाना की मदद से माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सिलवासा, दादर और नगर हवेली की न्यायालय में अपीलकर्ता/दोषी की पारगमन रिमांड के लिए भेजा गया। इस गवाह ने कहा कि मुकदमे के दौरान पारगमन रिमांड और उसकी पहचान पर इसे प्रदर्श **संख्या 7** के रूप में प्रदर्शित किया गया था। उसके द्वारा यह बयान दिया जाता है कि वह अपीलकर्ता/दोषी और पीड़ित (अ.सा.-6) को 13.07.2018 पर ट्रेन के साथ जहानाबाद लाया और न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता/दोषी को पेश किया, उसने पीड़ित (अ.सा.-6) को उसका बयान दर्ज करने के

लिए न्यायिक दंडीधिकारी के समक्ष भी पेश किया। उनके द्वारा यह भी बयान दिया गया है कि जांच के दौरान उन्होंने पीड़ित (अ.सा.-6) के स्कूल का दौरा किया और पीड़ित (अ.सा.-6) की जन्म तिथि के संबंध में प्रभारी प्राचार्य से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जो प्रवेश पंजीयक के आधार पर दिया गया था जहां इसे 22.11.2004 के रूप में दर्ज किया गया था, इस गवाह की पहचान के आधार पर प्रभारी प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र को मुकदमे के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रदर्श संख्या 08 के रूप में प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने पीड़ित की चिकित्सा जांच के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर की भी पहचान की और इसे प्रदर्श संख्या 09 के रूप में प्रदर्शित किया गया।

प्रतिपरीक्षण पर, उसने बयान दिया कि वह इस मामले को दर्ज करने के समय पुलिस स्टेशन में मौजूद था। यह बयान दिया गया कि सूचना देने वाले (अ.सा.-6) के हस्ताक्षर वाली लिखित जानकारी पर तारीख उपलब्ध नहीं है। उनके द्वारा यह कहा गया था कि घटना 15.06.2018 की है, जबकि 23.06.2018 पर मामला दर्ज किया गया था क्योंकि जानकारी केवल 23.06.2018 पर दी गई थी। यह कहा गया था कि उन्होंने जाँच के दौरान सूर्यदेव (अ.सा.-4) की जाँच की और वही केस डायरी की कंडीका 23 में उपलब्ध है। उनके द्वारा यह भी बयान दिया गया कि सूचना देने वाले (अ.सा.-1) ने जांच के दौरान कभी यह खुलासा नहीं किया कि पीड़ित (अ.सा.-6) ने कभी मानस स्कूल में पढ़ाई की थी। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि डॉ. विनोद कुमार (अ.सा.-5) के अनुसार, पीड़ित की आयु 19-20 वर्षों के बीच पाई जाती है। उसके द्वारा यह बयान दिया जाता है कि उसने प्रवेश के समय स्कूल के पंजीयक में की गई प्रविष्टि के आधार पर प्रभारी प्राचार्य से प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। उन्होंने बयान दिया कि वह प्रवेश पंजीयक से जन्म तिथि की प्रविष्टि का आधार एकत्र करने में विफल रहे। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि पीड़ित (अ.सा.-6) का बयान दादर और नगर हवेली में दर्ज नहीं किया गया था और यह भी कि सूचना देने वाला (अ.सा.-1) उसके साथ वहां (दादर और नगर

हवेली) नहीं गया था। उन्होंने यह भी कहा कि जिस घर में पीड़ित (अ.सा.-6) और अपीलकर्ता/दोषी किरायेदार के रूप में एक साथ रह रहे थे, उसके मालिक का बयान उनके द्वारा दर्ज नहीं किया गया था। अंत में, उन्होंने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया कि उन्होंने अपीलकर्ता/दोषी के खिलाफ सूचक (अ.सा.-1) और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

अपीलकर्ता/दोषी की ओर से तर्क

19. अपीलकर्ता/दोषी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री से यह सुरक्षित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन ने अपने मामले को उचित संदेह से परे स्थापित किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष घटना के समय पीड़ित लड़की को नाबालिग के रूप में स्थापित करने में विफल रहा क्योंकि कथित पीड़ित की जन्म तिथि यानी 22.11.2004 कानून के स्थापित सिद्धांतों के संदर्भ में मुकदमे के दौरान न्यायालय के समक्ष स्थापित नहीं की गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कथित जन्म तिथि के समर्थन में स्कूल के किसी भी व्यक्ति से पूछताछ नहीं की गई थी और मुकदमे के दौरान न्यायालय के समक्ष कोई प्रवेश पंजीयक भी पेश नहीं किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अ.सा.-8, जो इस मामले के जांच अधिकारी हैं, द्वारा जांच के दौरान प्रभारी प्राचार्य से केवल एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था, जिसे विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष **प्रदर्श संख्या 8** के रूप में प्रदर्शित किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त दस्तावेज़ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत स्वीकार्य नहीं है। यह तर्क दिया जाता है कि कानून बहुत स्पष्ट है कि विचाराधीन अपराध की पीड़ित लड़की की उम्र मुकदमे के दौरान कैसे साबित की जा सकती है। अपनी प्रस्तुति के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने **जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य** की रिपोर्ट पर भरोसा किया जो (2013) 7 उच्चतम न्यायालय के मामलों 263 के रूप में रिपोर्ट की गई थी। विद्वान

अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि अ.सा.-3, जो पीड़ित का पिता है और पीड़ित (अ.सा.-6) भी, जिसने माननीय विचारण न्यायालय के समक्ष अपना बयान दिया, ने स्पष्ट रूप से कहा कि घटना के समय उसकी आयु 19-20 वर्ष थी।

20. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अ.सा.-3, जो पीड़ित (अ.सा.-6) का पिता है, ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से कहा कि घटना के समय उसकी बेटी/पीड़ित (अ.सा.-6) की आयु 19 वर्ष थी और इसके अलावा, पीड़ित (अ.सा.-6) ने खुद विचारण न्यायालय के समक्ष गवाही दी कि घटना के समय उसकी आयु 19-20 वर्ष थी। यह भी तर्क दिया जाता है कि डॉ. विनोद कुमार (अ.सा.-5) द्वारा कथित घटना के लगभग एक महीने बाद की गई रेडियोलॉजिकल जांच में पीड़ित की उम्र 19-20 वर्ष के बीच पाई गई। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसे सभी साक्ष्यों को समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि अभियोजन यह स्थापित करने में विफल रहे कि पीड़ित (अ.सा.-6) घटना की तारीख को नाबालिग थी।

21. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क करते हुए आगे कहा कि जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 366-ए और 376 के तहत दोषसिद्धि का संबंध है, इसे पीड़ित (अ.सा.-6) के बयानों की दृष्टि से किसी भी उचित संदेह से परे स्थापित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसने विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपीलकर्ता/दोषी के साथ दादर और नगर हवेली (गुजरात) गई थी और उसने यह भी कहा कि जब वह लगभग एक महीने तक किराए के घर में अपीलकर्ता/दोषी के साथ थी तो उस पर कोई गलत काम नहीं किया गया था। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि डॉ. विनोद कुमार (अ.सा.-5) और डॉ. नाहिद सिरिन (अ.सा.-7), जिन्होंने पीड़ित (अ.सा.-6) की जांच की, ने अपनी चिकित्सा जांच रिपोर्ट के माध्यम से कुछ नहीं कहा, जिससे यह पता चल सकता है कि पीड़ित को यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था क्योंकि पीड़ित के शरीर के निचले हिस्से में

कोई बाहरी चोट नहीं देखी गई थी, पीड़ित के शरीर के ऊपरी हिस्से में बाहरी चोट भी नहीं थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि डॉक्टर के अनुसार बलात्कार की संभावना से इनकार नहीं किया गया था, लेकिन यह एक स्थापित विधिक सिद्धांत है कि बलात्कार एक विधिक निष्कर्ष है, न कि चिकित्सकीय। उन परिस्थितियों में जब पीड़ित (अ.सा.-6) स्वयं कह रही है कि अपीलकर्ता/दोषी द्वारा उस पर कोई गलत कार्य नहीं किया गया था, तो यह अनुमान लगाने के लिए कोई सवाल ही नहीं उठता कि बलात्कार पीड़ित पर किया गया था। तर्क का समापन करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता/दोषी के खिलाफ अपने मामले को उचित संदेह से परे स्थापित करने में विफल रहा और माननीय विचारण न्यायालय द्वारा ऐसे अपीलकर्ता/दोषी को उसके खिलाफ दर्ज दोषसिद्धि और सजा के आदेश को दरकिनार करके उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया जाए।

22. विद्वान अधिवक्ता ने मामले पर बहस करते हुए जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य, जिसे (2013) 7 एस. सी. सी. 263 के रूप में रिपोर्ट किया गया और तुकाराम और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 185 के रूप में रिपोर्ट किया गया के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया।

राज्य की ओर से तर्क

23. विद्वान स. लो. अ. द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रभारी प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रवेश पंजीयक पर आधारित है जिसे प्रदर्श संख्या 08 के रूप में प्रदर्शित किया गया है, यह सुझाव देते हुए कि पीड़ित की जन्म तिथि 22.11.2004 थी, और इसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत पढ़ा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया

जाता है कि एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद कि घटना के समय पीड़ित (अ.सा.-6) नाबालिग थी, उसकी सहमति कोई विधिक महत्व नहीं है और इस तरह भारतीय दंड संहिता की धारा 366ए और 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषसिद्धि को गलत नहीं कहा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि पीड़ित (अ.सा.-6) ने कहा कि वह अपनी इच्छानुसार अपीलकर्ता/दोषी के साथ गई थी, लेकिन आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि अ.सा.-1 और अ.सा.-2 द्वारा समर्थित दादर और नगर हवेली से अपीलकर्ता/दोषी के साथ पीड़ित (अ.सा.-6) की बरामदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और इस तरह विद्वत विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 366-ए और 376 के तहत और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत भी अपीलकर्ता/दोषी को सही ढंग से दोषी ठहराया है। स. लो. अ. ने तर्क का समापन करते हुए कहा कि चोटों का पता न लगाने से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बलात्कार नहीं किया गया था और अपनी प्रस्तुति के समर्थन में उन्होंने ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 2472 के रूप में रिपोर्ट किए गए **करनेल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य** की रिपोर्ट पर भरोसा किया।

निष्कर्ष

24. हमने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों और सामग्रियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है, हमने अपीलकर्ता/दोषी की ओर से बहस करने वाले विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से बहस करने वाले विद्वान स. लो. अ. द्वारा दिए गए तर्क को भी सुना और ध्यान में रखा है।

25. बेहतर समझ के लिए **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35** को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा:-

35. *कर्तव्य पालन में किए गए सार्वजनिक में प्रविष्टि 1[अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख] की प्रासंगिकता — किसी सार्वजनिक या अन्य*

आधिकारिक पुस्तक, पंजीयक या 1[अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख] में प्रविष्टि, जिसमें जारी किए गए तथ्य या प्रासंगिक तथ्य का उल्लेख हो, और जो किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किया गया हो, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस देश की कानून द्वारा विशेष रूप से आदेशित कर्तव्य के पालन में किया गया हो जिसमें ऐसी पुस्तक, पंजीयक, या 1 [अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख] रखा गया हो, वह स्वयं एक प्रासंगिक तथ्य है।

26. इस तथ्य की बेहतर समझ के लिए कि विचाराधीन अपराध में पीड़ित की आयु कैसे निर्धारित की जा सकती है, जरनैल सिंह मामले (सुप्रा) की कंडिका 22 और 23 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा।

22. नाबालिग की आयु के निर्धारण के मुद्दे पर, केवल किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 (इसके बाद 2007 नियम के रूप में संदर्भित) के नियम 12 का संदर्भ देने की आवश्यकता है। उपर्युक्त 2007 नियम किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 68 (1) के तहत बनाए गए हैं। ऊपर उल्लिखित नियम 12 निम्नानुसार है:

“12. आयु निर्धारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया-(1) विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बच्चे या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में, न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, इन नियमों के नियम 19 में निर्दिष्ट समिति उस उद्देश्य के लिए आवेदन करने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसे किशोर या बच्चे या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की आयु निर्धारित करेगी।

(2) न्यायालय या बोर्ड या समिति, जैसा भी मामला हो, किशोर या बच्चे या जैसा भी मामला हो, विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की किशोरता या अन्यथा, प्रथम दृष्टया शारीरिक उपस्थिति या दस्तावेजों के आधार पर, यदि उपलब्ध हो, तय करेगी और उसे अवलोकन गृह या जेल भेजेगी।

(3) विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बच्चे या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में, आयु निर्धारण जांच न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति द्वारा साक्ष्य प्राप्त करके की जाएगी -

(अ) (i) मेट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और जिसके अभाव में;

(ii) जिस स्कूल में पहली बार गए (एक प्ले स्कूल के अलावा); से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख और जिसके अभाव में;

(iii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र;

(ब) और केवल उपरोक्त खंड (अ) के (i), (ii) या (iii) में से किसी एक के अभाव में, विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा राय ली जाएगी, जो किशोर या बच्चे की उम्र घोषित करेगा। यदि आयु का सटीक आकलन नहीं किया जा सकता है, तो न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति, उनके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, यदि आवश्यक समझा जाए, तो बच्चे या किशोर को एक वर्ष के अंतराल के भीतर कम आयु पर विचार करके लाभ दे सकती है।

और, ऐसे मामले में आदेश पारित करते समय, जो भी मामला हो, उपलब्ध साक्ष्य या चिकित्सा राय पर विचार करने के बाद, उसकी उम्र और खंड (अ) के (i), (ii) या (iii) में से किसी एक में निर्दिष्ट साक्ष्य के संबंध में एक निष्कर्ष दर्ज करेगा या जिसके अभाव में, खंड (ब) कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे या किशोर के संबंध में उम्र का निर्णायक प्रमाण होगा।

(4) यदि उप-नियम (3) में निर्दिष्ट किसी निर्णायक प्रमाण के आधार पर अपराध की तारीख को किसी किशोर या बच्चे या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की आयु 18 वर्ष से कम पाई जाती है, तो न्यायालय या बोर्ड या समिति, जैसा भी मामला हो, अधिनियम और इन नियमों के उद्देश्य से आयु और किशोरता की स्थिति या अन्यथा घोषित करने का आदेश लिखित रूप में

पारित करेगी और आदेश की एक प्रति ऐसे किशोर या संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी।

(5) अधिनियम की धारा 7-अ, धारा 64 और इन नियमों के संदर्भ में आगे की जांच या अन्यथा आवश्यक होने के अलावा, न्यायालय या बोर्ड द्वारा इस नियम के उप-नियम (3) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र या किसी अन्य दस्तावेजी प्रमाण की जांच और प्राप्त करने के बाद आगे कोई जांच नहीं की जाएगी।

(6) इस नियम में निहित प्रावधान उन निपटाए गए मामलों पर भी लागू होंगे, जहां उप-नियम (3) और अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार किशोरता की स्थिति का निर्धारण नहीं किया गया है, जिसमें कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर के हित में उचित आदेश पारित करने के लिए अधिनियम के तहत सजा के प्रावधान की आवश्यकता होती है।

23. भले ही नियम 12 केवल विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे की उम्र निर्धारित करने के लिए सख्ती से लागू होता है, हमारा विचार है कि उपरोक्त वैधानिक प्रावधान उम्र निर्धारित करने का आधार होना चाहिए, यहां तक कि एक ऐसे बच्चे के लिए भी जो अपराध का शिकार हैं, क्योंकि, हमारे विचार में, जहां तक अल्पसंख्यकों के मुद्दे का संबंध है, विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे और अपराध का शिकार होने वाले बच्चे के बीच शायद ही कोई अंतर है। इसलिए, हमारी सुविचारित राय में, अभियोजक वी. डब्ल्यू.-पी. डब्ल्यू. 6 की आयु निर्धारित करने के लिए 2007 के नियमों के नियम 12 को लागू करना न्यायसंगत और उचित होगा। आयु निर्धारित करने का तरीका, ऊपर निकाले गए नियम 12 के उप-नियम (3) में व्यक्त किया गया है। उपरोक्त प्रावधान के तहत, नियम 12 (3) में प्रतिपादित कई विकल्पों में से पहले उपलब्ध आधार को अपनाकर बच्चे की उम्र का पता लगाया जाता है। यदि नियम 12 (3) के तहत विकल्पों की योजना में, एक विकल्प पूर्ववर्ती खंड में व्यक्त किया जाता है, तो इसका प्रभाव बाद के खंड में व्यक्त विकल्प पर हावी होता है। उपलब्ध उच्चतम मूल्यांकन विकल्प, निश्चित रूप से नाबालिग की आयु निर्धारित करेगा। नियम 12 (3) की योजना में, संबंधित बच्चे का मैट्रिक (या समकक्ष) प्रमाण पत्र, उच्चतम मूल्यांकन

विकल्प है। यदि उक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध है, तो किसी अन्य साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। केवल उक्त प्रमाण पत्र के अभाव में, नियम 12 (3), उस स्कूल में दर्ज की गई जन्म तिथि पर विचार करने की परिकल्पना करता है, जिसमें बच्चा पहली बार उपस्थित हुआ था। यदि जन्म तिथि की ऐसी प्रविष्टि उपलब्ध है, तो उसमें दर्शाई गई जन्म तिथि को अंतिम और निर्णायक माना जा सकता है और किसी अन्य सामग्री पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। केवल इस तरह की प्रविष्टि के अभाव में, नियम 12 (3) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र पर निर्भरता का प्रतिपादन करता है। फिर भी, यदि ऐसा प्रमाण पत्र उपलब्ध है, तो संबंधित बच्चे की उम्र निर्धारित करने के लिए किसी भी अन्य सामग्री पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उक्त प्रमाण पत्र निश्चित रूप से बच्चे की उम्र निर्धारित करेगा। यह केवल उपरोक्त में से किसी की अनुपस्थिति में है कि नियम 12 (3) चिकित्सा राय के आधार पर संबंधित बच्चे की उम्र का निर्धारण करता है।

27. पहला और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जिसे वर्तमान मामले में संबोधित करने की आवश्यकता है, घटना की तारीख पर पीड़ित (अ.सा.-6) की उम्र है। प्राथमिकी, जो कि प्रदर्श संख्या 1 है, के अनुसार पीड़ित की आयु 14 वर्ष बताई गई थी, इस तथ्य को निशांत कुमार (अ.सा.-1) द्वारा भी बयान किया गया था, जो इस मामले के सूचक और पीड़ित के चाचा (अ.सा.-6) हैं। सूचना देने वाला पीड़ित की जन्म तिथि के पक्ष में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में भी विफल रहा, जैसा कि उसके पहले विद्यालय द्वारा जारी किया गया था। अ.सा.-2, जो पीड़ित की माँ है, ने भी न्यायालय के समक्ष बयान दिया कि घटना के समय पीड़ित 14 वर्ष की थी। अ.सा.-3, जो पीड़ित का पिता है, हालांकि अपने मुख्य परीक्षण में बयान दिया कि घटना के समय उसकी बेटी की उम्र लगभग 14 वर्ष थी, लेकिन उसकी जिरह में, यह विशेष रूप से उसके द्वारा कहा गया है कि उसकी बेटी/पीड़ित (अ.सा.-6) की उम्र 19 वर्ष थी। डॉ. विनोद कुमार (अ.सा.-5), जिन्होंने सदर

अस्पताल, जहानाबाद में पीड़ित की जांच की, ने 19-20 वर्षों के बीच की रेडियोलॉजिकल परीक्षा के आधार पर पीड़ित की उम्र का आकलन किया। पीड़ित (अ.सा.-6) ने पहली बार अपनी जन्म तिथि बताते हुए बयान दिया कि उसकी जन्मतिथि 22.11.2004 है, लेकिन उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि घटना के समय वह 20 साल की थी। उनके द्वारा कहा गया है कि वह भीमराव अंबेडकर उच्च माध्यमिक विद्यालय, करपी (अरवल) की छात्रा थीं, जहाँ उन्हें उनके चाचा (अ.सा.-1) द्वारा भर्ती कराया गया था। यह तथ्य अ.सा.-3, जो पीड़ित का पिता है, के बयान के साथ पुष्टि में भी दिखाई देता है कि शैक्षिक उद्देश्य के लिए उसकी बेटी/पीड़ित की जन्म तिथि वास्तविक से कम दर्ज की गई थी। अ.सा.-8, जो जाँच के दौरान इस मामले के जाँच अधिकारी हैं, ने पीड़ित के स्कूल का दौरा किया और प्रभारी प्रधानाचार्य से उसकी जन्म तिथि के बारे में एक प्रमाण पत्र (प्रदर्श संख्या 08) प्राप्त किया जो प्रवेश पंजीयक के आधार पर दिया गया था, जहाँ इसे 22.11.2004 के रूप में उल्लेख किया गया था। यह प्रमाण पत्र प्रदर्श संख्या 08 है। पीड़ित का यह जन्म प्रमाण पत्र यह बताने में विफल रहा कि यह पीड़ित का पहला स्कूल (प्ले स्कूल के अलावा) था। इस दस्तावेज़ को साबित करने के लिए स्कूल से कोई नहीं आया और न ही ट्रायल कोर्ट के सामने प्रवेश पंजीयक पेश किया गया। तदनुसार, इस प्रमाण पत्र (प्रदर्श संख्या 08) को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत स्वीकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि इसे साबित हुआ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसे इसके लेखक द्वारा साबित नहीं किया गया था। वर्तमान मामले में, माना जाता है कि पीड़ित दसवीं कक्षा की छात्रा थी। इसलिए, मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र की उपलब्धता का कोई अवसर नहीं है। अब, उसके अभाव में दस्तावेज़, जो उसकी जन्म तिथि के समर्थन में उपलब्ध है, यानी प्रदर्श संख्या 08, जिसे इसके लेखक द्वारा साबित नहीं किया गया था और पीड़ित की जन्म तिथि (अ.सा.-6) को 22.11.2004 के रूप में नहीं स्वीकारा जा सकता है। निगम/नगर निगम प्राधिकरण/पंचायत द्वारा जारी पीड़ित का

कोई जन्म प्रमाण पत्र (अ.सा.-6) उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त सभी चर्चा की गई परिस्थितियों के अभाव में, पीड़ित की उम्र (अ.सा.-6) का आकलन करने का एकमात्र विकल्प इस उद्देश्य के लिए गठित चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट की राय है, जहां डॉ. विनोद कुमार (अ.सा.-5) के बयान के अनुसार यह प्रतीत होता है कि पीड़ित की उम्र घटना की तारीख को 19-20 वर्षों के बीच थी। इस तथ्य का समर्थन पीड़ित के पिता अ.सा.-3 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में किया था और खुद पीड़ित ने प्रतिपरीक्षण में पुष्टि की थी कि घटना के समय वह 20 साल की थी। चर्चा किए गए तथ्यों और परिस्थितियों में यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि पीड़ित (अ.सा.-6) घटना की तारीख को नाबालिग थी, क्योंकि इस तरह के अभियोजन घटना की तारीख को पीड़ित को नाबालिग साबित करने में विफल रहे, इसलिए, पॉक्सो अधिनियम वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है।

28. जहाँ तक पीड़ित के अपहरण और अपीलकर्ता/दोषी द्वारा उसके साथ बलात्कार करने का संबंध है, पीड़ित का बयान (अ.सा.-6) अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। उसके बयान से ऐसा प्रतीत होता है, जैसा कि उसकी प्रतिपरीक्षा में उपलब्ध है कि घटना के समय वह 20 वर्ष की थी और इस अपीलकर्ता/दोषी द्वारा उस पर कोई गलत कार्य नहीं किया गया था। उसने विशेष रूप से बयान दिया कि अपीलकर्ता/दोषी उसका पड़ोसी था और वह अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। पीड़ित (अ.सा.-6) का बयान स्पष्ट रूप से इस अपीलकर्ता/दोषी द्वारा उसके अपहरण और यौन उत्पीड़न को नकारता है। डॉ. विनोद कुमार (अ.सा.-5) और डॉ. नाहिद सिरिन (अ.सा.-7) के बयान से यह भी प्रतीत होता है कि पीड़ित (अ.सा.-6) पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं देखी गई थी, हालांकि चिकित्सा विवरण के अनुसार बलात्कार की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन पीड़ित के विशिष्ट बयान को देखते हुए कि उस पर ऐसा कोई बलात्कार नहीं किया गया था, चिकित्सकीय प्रतिवेदन का कोई प्रभाव नहीं है,

क्योंकि यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि बलात्कार एक विधिक निष्कर्ष है न कि चिकित्सकीय।

29. तदनुसार, वर्तमान अपील को अनुमति दी जाती है।

30. जहानाबाद थाना कांड सं. 504/2018 से उद्धृत विशेष पॉक्सो मामला सं. 44/2018 में जिला और सत्र न्यायाधीश-VI-सह-विशेष पॉक्सो न्यायाधीश, जहानाबाद द्वारा पारित दोषसिद्धि का विवादित निर्णय और सजा के लिए परिणामी आदेश दिनांक 23.09.2022 को दरकिनार कर दिया गया है। अपीलकर्ता को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है। उसे तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, जब तक कि किसी अन्य मामले में उसकी हिरासत की आवश्यकता न हो।

31. अपीलकर्ता/दोषी द्वारा भुगतान किया गया जुर्माना, यदि कोई हो, उसे तुरंत वापस कर दिया जाए।

(ए. एम. बदर, न्यायमूर्ति)

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

अर्चना/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।